"प्ररूप–26

(नियम 4क देखिए)

बरेली–मुर[illegible] क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वा[illegible]र के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया [illegible]ने शपथ–पत्र

भाग – क

मैं ......संजय कुमार मिश्र...... **पुत्र/पुत्री/पत्नी ...श्री राधे श्याम मिश्र... आयु ...42... वर्ष, जो ...दनियापुर रोसर कोठी शाहजहाँपुर... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(1) मैं ......समाजवादी पार्टी...... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। X

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ...136 ददरौल उ.प्र. ... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 ...370... के क्रम सं0 ...405... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं0 ...9415347021... हैं/है और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) .... है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति

क्रम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं संजय कुमार मिश्र	AWOPM620C	2012-13	250,000/=
2	पति या पत्नी	X	X	X
3	आश्रित–1 X	X	X	X
4	आश्रित–2 X	X	X	X
5	आश्रित–3 X	X	X	X

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ड)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

संजय कुमार मिश्र

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है। :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेशरा के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	110000	25000	X	X	X
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाओं, गैर	[illegible] 12000	X	X	X	X

	बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	X	X	X	X	X
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	X	X	X	X	X
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	LIC 100000	X	X	X	X
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	X	X	X	X	X
(vi)	मोटरयान/वायुयान/ याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	I-20 UP27U 2308 / 2012 600000	X	X	X	X
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	8 TOLA 240000	22 तोला 660000	X	X	X
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	X	X	X	X	X
(ix)	स्मग्र कुल मूल्य	1170000	685000	X	X	X

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0स0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत	X	X	X	X	X

	(क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	X	X	X	X	X
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–
(टिप्पण : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र0सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	X

संजय कुमार मिश्र

	पूर्वोत्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	X
	कोई अन्य दायित्व	X	X	X	X	X
	दायित्वों का कुल योग	X	X	X	X	X
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	X	X	X	X	X
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X	X	X	X	X
	आय–कर शोध्य	X	X	X	X	X
	धनकर शोध्य	X	X	X	X	X
	सेवाकर शोध्य	X	X	X	X	X
	नगर पालिका/ संपत्ति कर शोध्य	X	X	X	X	X
	विक्रयकर शोध्य	X	X	X	X	X
	कोई अन्य शोध्य	X	X	X	X	X
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	X	X	X	X	X
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	X	X	X	X	X

संजय कुमार मिश्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AC 588041

NOTARY Krant Pal Singh Advocate & Notary Bareilly (U.P.) India Reg.No.16(27)/2000 GOVT. OF U.P. (INDIA)

संजय कुमार मिश्र

संजय कुमार मिश्र

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं अध्यापन कार्य

(ख) पति या पत्नी x

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

परास्नातक (आचार्य) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

	र्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु0 संजय कुमार मिश्र
	का पूरा पता	ग्रा०-दनियापुर पो०-रौसर कोठी शाहजहांपुर
	चन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा	136 ददरौल उत्तरप्रदेश
	राजनैतिक दल का नाम जिसने र्थी को खडा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	समाजवादी पार्टी
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्विष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य

7.		का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय–कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	संजय कुमार मिश्र	2012-13	250000
	(ख) पति या पत्नी	x	x	x
	(ग) आश्रित	x	x	x

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)

		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	117000	685000	x	x	x
ख		स्थावर आस्तियां	x	x	x	x	x
	I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	x	x	x	x	x
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	x	x	x	x	x
		.....की	x	x	x	x	x
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	x	x	x	x	x

संजय कुमार मिश्र

		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	X	X	X	X	X
9		दायित्व	X	X	X	X	X
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X	X	X	X	X
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X	X
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	X				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X	X	X	X	X
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X	X
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषण करता हूं कि :–

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 03-03-2014 को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोडें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।